संख्या- 113/2024/2689/तीस-3-24-07बी/2007टी0सी0

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 15 अक्टूबर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1508ए/2024-37ए/2024, दिनांक 01-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 276.39 लाख (रू0 दो करोड़ छियत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र) की निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	लागत आगणन की धनराशि	परीक्षित/अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, महराजगंज।	अभिलेखों के रख-रखाव हेतु रिकार्ड रूम का निर्माण कार्य।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, महाराजगंज।	11.18	11.18
2.	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, सोनभद्र।	शौचालय, कार्यालय भवन के दरवाजे खिड़की की मरम्मत, भवन की रंगाई-पुताई व कमरों में पी0वी0सी0 पैनलिंग का कार्य।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, सोनभद्र।	24.98	24.98
		कार्यालय परिसर में महिला, पुरूष व दिव्यांगजन हेतु शौचालय एवं बोरिंग व समर्सिबल पम्प का कार्य।		14.99	14.99
3.	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बदायूं।	कार्यालय के प्रथम तल पर आग लग जाने के कारण क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण प्रथम तल की मरम्मत व छत का निर्माण, कार्यालय कक्षों में फॉल सीलिंग, कार्यालय परिसर में बोरिंग, सेप्टिक टैंक व सोक पिट तथा मुख्य गेट पर गार्ड रूम का निर्माण।	यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-06, बरेली।	251.54	225.24
			कुल योग =		276.39 लाख (रू0 दो करोड़ छियत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद में व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशाकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-113/2024/2689(1)/तीस-3-2024, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - (1) लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, महाराजगंज एवं सोनभद्र। (2) यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-06, बरेली।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।